कार्यालय नगर निगम, भागलपुर

स्वामी विवेकानंद पथ,
कचहरी कैम्पस,
भागलपुर।

Website- bhagalpurnagarnigam.in
E-mail- nagarnigambhagalpur@gmail.com
Phone no- 0641-2302035

3565/B.M.C-15/16.

फार्म–VIII–ख
भूमि विकास अनुज्ञा के अनुमोदन का फारम
उपविधि संख्या–88(3)

आप के आवेदन संख्या–..... तिथि–..... के संदर्भ में श्रीमती/श्री चन्द्रा श्रीवास्तव, पति-श्री उदय श्रीवास्तव के लिए

(क) भूमि विकास की अभिन्यास (ले–आउट) योजना के लिए
(ख) भूमि के उपयोग में परिवर्त्त करने के लिए

भागलपुर नगर निगम, भागलपुर क्षेत्रान्तर्गत बिहार नगरपालिका 2007 की धारा–321 और बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा–81(2) (ब) के अन्तर्गत प्लॉट नं0 (सी0एस) 225 प्लॉट नं0 (एम0एस0पी0) 225 खाता नं0 84 होल्डिंग नं0 2525A पताः– पुलिस लाईन रोड मोहल्लाः–पुलिसलाईन रोड वार्ड नं0 32 के बाबत निम्नलिखित शर्त्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती हैः– (G+3) (B=P)

(क) भूमि का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयाग के लिए परिवर्त्तित नहीं किया जाएगा।
(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया ..... वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 6.10 मीटर चौड़ाई के पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वमित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में ..... मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीनों वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति उस भूखंड, जिसके योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार/हक/हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बात होई विवाद होने पर, विवाद की अवधि के दौरान योजना स्वतः रद्द समझी जाएगी।
(ञ) कोई अन्य शर्त्त।

Attested

ह0–
नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

ज्ञापांक सं0–3565/भा0न0नि0 दिनांक 31-12-2015
प्रतिलिपिः– अनुमोदित योजनाओं की 2 प्रतियों के साथ श्रीमती/श्री चन्द्रा श्रीवास्तव को सूचनार्थ अग्रसारित। पुलिस लाईन रोड

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर